

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गणेशाराम पुत्र हीरकाजी
2. लीलाराम पुत्र हीरकाजी
3. मुकेश कुमार पुत्र तोलाराम जातियान
घाची निवासीयान ओडा तह.शिवगंज

1. गीतादेवी पत्नि तोलाराम घाँची
2. प्रकाश कुमार पुत्र तोलाराम घाँची
3. विमलादेवी पुत्री तोलाराम घाची नि.ओडा
4. सपना पुत्री तोलाराम कुदरती वली पिता
कानाराम जाति कुम्हार नि.जावाल(सिरोही)
5. तलसी पुत्री हीरका घाँची निवासी ओडा
- 6-7 हिम्तराम, तेजाराम पुत्रगण नवीया
8. पवनीबाई पत्नि नवीया जातिगण घाँची
निवासीगण ओडा शिवगंज।
9. जैसराम पुत्र धनीया
10. कनका पत्नि धनिया जातियान घाँची
निवासीगण ओडा
- 11-13 थानाराम, मंछाराम, सोमाराम पुत्रगण
रूपाजी घाँची निवासीगण ओडा
14. चौथीबाई पत्नि रूपाजी घाँची नि.ओडा
- 15-17 छोगा, ओबा, मगना पुत्रगण चमना
जातियान घाँची निवासीयान ओडा.
18. सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

वाद संख्या 83/2019

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक 06.10.2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 केम्प कोर्ट ओडा मे पत्रावली पेश हुई वाद पक्षकारान उपस्थित। वाद के उपस्थित पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किया जाना जाहिर किया गया तथा अन्य पक्षकारो की और से कोई आपत्ति/एँतराज पेश नही किया गया जिसके आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना पक्षकारो की उपस्थिति व सहमति के अनुसार भूमि मौजा ओडा पटवार हल्का ओडा तहसील शिवगंज जमाबन्दी सवत् 2072-75 के खाता संख्या 144 खसरा नम्बर 162/3, 172/5, 172/6, 517/20, 517/21, 517/23 व 517/85 किता सात कुल रकबा 77-0500 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाड प्रस्ताव मय मौका नजरी नक्शा तैयार पेश किया गया।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानो तथा उपस्थित वाद पक्षकारो की सहमति के आधार पर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा मे प्रदर्शित हिस्सा अनुसार बराबर होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा को इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनांक 06.10.2021 को निर्णय खुले न्यायालय कोर्ट केम्प ओडा मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
शिवगंज कोर्ट केम्प ओडा

5
6-10-21

प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

Lok adalat